राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 147/2022 निर्णय दिनांक 6.8.25

उनवानः

1. विक्रमसिंह उम्र 31 वर्ष पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....वादी

बनाम

1. मेहरचन्द उम्र 75 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. ओमप्रकाश पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. कमला पुत्री मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. कुलदीप पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
5. हवासिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना हाल मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
7. उप पंजीयक मांढण तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 अर्0टी0एक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0

1. श्री जितेन्द्र कुमार सामरिया योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री दिनेश कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से।

।। निर्णय ।।

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर जरिये अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शर्मा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया गया कि उक्त अनुवानी दावा प्रतिवादी सं0 1 के पौत्र द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इससे पुर्व वादी का पिता ओमप्रकाश द्वारा इसी आराजी के सम्बन्ध मे इसी प्रकार का दावा औमप्रकाश बनाम मेहरचन्द वगै0 पेश किया गया था। जो दावा करीब 40 वर्ष चला है। लेकिन सभी दावे ओमप्रकाश के विरूद्ध साबित नही होने के कारण खारिज होने पर, औमप्रकाश ने अपने पुत्र विक्रमसिंह से उक्त अनुवानी दावा बिना वाद कारण के व बिना हक व अधिकार के न्यायालय को गुमराह करने की मनशा से पेश करवाया गया है। जब दादा व पिता जीवित है तो पौत्र को दादा की सम्पति मे किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नही है। माननीय सर्वोच्य न्यायलाय ने 2007 पूर्णसिंह बनाम भंवरसिंह के प्रकरण मे सिद्धांत प्रतिवादित किया है जो आज तक वजूद मे है। इसलिए वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण चलने योग्य नही है दावा इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य है खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई।

प्रार्थना पत्र की नकन वकील वादी को दिलवाई गई। वकील वादी द्वारा जबाव पेश नही करने पर उनका जवाब बन्द किया गया तथा पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)

वकील प्रतिवादी सं0 1, अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुऐ । वादी का वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे आने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाने की प्रार्थना की गई तथा अपनी मौखिक बहस के समर्थन मे लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

वकील वादी द्वारा अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ, दावा मे वर्णित आराजी वादी की दादालाई की आराजी होने एवं प्रतिवादी सं0 1 को उनके पिता श्री रामदयाल से प्राप्त होना बताते हुऐ। आराजी मुतनाजा मे वादी के जन्म से ही हक व अधिकार निहित होना बताते हुऐ, प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को मय खर्चा खारिज किया जाकर दावा को साक्ष्य सबूत के आधार पर मैरिट पर निर्णय किया जाने की प्रार्थना की गई।

हमने उभय पक्षो की बहस पर गहनता से मनन किया तथा प्रतिवादी सं0 1 की ओर से पेश लिखित बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 मे वर्णित तथ्यो के मुताबिक पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया वादी के पिता ओमप्रकाश द्वारा भी प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध एक राजस्व दावा सं0 611/2015 उनवान ओमप्रकाश बनाम मेहरचन्द वगै0 इसी बाबत पेश किया गया था जो दावा इस न्यायालय मे लम्बित रहते हुऐ उसी भूमि की बाबत उसी नैचर का दावा वादी द्वारा पेश किया गया है तथा पुर्व से लम्बित राजस्व वाद सं0 176/2015 को दिनांक 16.06.2025 को इस न्यायालय द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज करवाया गया है। जो दावा खारिज करवाने ने वादी व उसके पिता ओमप्रकाश की आपस मे मिल्लत होना साफ जाहीर होती है। वादी द्वारा पेश दावा मे वाद कारण की तारीख दिनांक 02.05.2022 अंकित की गई है। जबकि ओमप्रकाश बनाम मेहरचन्द के दावा मे वाद कारण की तारीख दिनांक 16.06.2007 व 19.06.2007 को पैदा होना अंकित की गई है। वादी के पिता द्वारा पेश दावा को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज करवाया गया। जिस दावा मे वर्णित आराजी मे वादी के पिता के ही अधिकार तय नही किये गये तो वादी के, प्रतिवादी सं0 1 के जीवित रहते हुऐ प्रतिवादी सं0 1 की सम्पति मे कानूनन अधिकार तय नही किये जा सकते है। इस संबंध मे प्रतिवादी सं0 1 द्वारा अपने समर्थन मे पेश माननीय सर्वोच्य न्यायलाय ने 2007 पूर्णसिंह बनाम भंवरसिंह के प्रकरण मे पारित निर्णय पूर्ण रूप से साबित होता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पूर्ण अवलोकन से वादी का वाद, आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे आने के कारण इसी स्टेज पर खारिज होने योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर,वादी द्वारा पेश **"दावा बाबत इस्तकरार हक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 "** को खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे । तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो

निर्णय आज दिनांक 6.8.25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 147/2022

निर्णय दिनांक 6.8.25

उनवान:

1. विक्रमसिंह उम्र 31 वर्ष पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....वादी

बनाम

1. मेहरचन्द उम्र 75 वर्ष पुत्र रामदयाल जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. ओमप्रकाश पुत्र मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. कमला पुत्री मेहरचन्द जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. कुलदीप पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
5. हवासिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति अहीर निवासी ग्राम कान्हावास तह0 मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना हाल मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
7. उप पंजीयक मांढण तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

..... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 अरी0टी0एक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 जा0दी0

1. श्री जितेन्द्र कुमार सामरिया योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. श्री दिनेश कुमार शर्मा योग्य अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 की ओर से।

:: आदेश ::

अतः प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर,वादी द्वारा पेश **"दावा बाबत इस्तकरार हक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0ए0 "** को खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 6.8.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उप खण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)